न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-2020/00389-390

मिसल नम्बर– 72/2020

1. कन्या बाई पत्नी श्री राजू पुत्री स्व0 लालू आयु 43 जाति बैरवा
   निवासी– पुरोहित जी की टापरी कोटा जंक्शन कोटा (राज0)

.....वादीनी।

बनाम

1. यूनियन ऑफ इण्डिया जर्ये मण्डल रेल प्रबंधक प.म.रे. कार्यालय कोटा।
2. मण्डल रेल प्रबंधक कोटा।
3. एस. के गर्ग, पद डी.एस. कार्यरत– डी.आर.एम. आफिस, कोटा।
4. सुबोध शर्मा पद आई.डब्ल्यू. एस. कार्यरत– डी.आर.एम ऑफिस, कोटा।
5. रामनिवास ठेकेदार प.म.रे., कोटा।
6. तहसीलदार, तहसील लाडपुरा कोटा।
7. हल्का पटवारी डडवाडा तह0 लाडपुरा कोटा।

.....प्रतिवादीगण।

–:निर्णयः–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत् प्रार्थना पत्र)

दिनांक 14/7/25

वादीनी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीनी के खाते की आराजी खसरा नम्बर– 142, 14, 150, 143, वाके– ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा कोटा राजस्थान में स्थित है। इस खातेदारी में वादीनों की 3 बहिने कमला, शान्ति, धापू के नाम भी संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज हैं, इसलिये सहखातेदारो की सहमति से वादीनी के द्वारा खाते की आराजीयात् को बचाने के लिये यह वाद वादीनी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादी क्रम 1 युनियन ऑफ इण्डिया (रेल्वे विभाग) की रेल की लाईन वादीनी की खाते वाली आराजी से कुछ दूरी से निकल रही हैं, जो रेल्वे की खाते की जमीन में से जा रही हैं। इस प्रकार वादीनी के खातेदारी आराजीयात् से लगती हुई रेल्वे की जमीन होने से वादीनी व रेल्वे के मध्य आराजीयात् के सीमाकंन का विवाद हैं। इसलिये वादी के द्वारा अपने खाते की आराजीयात् को सही सीमाकंन एवं प्रतिवादीगण के द्वारा वादीनी की खाते की आराजीयात् पर कब्जा करने के प्रयास को रोकने के लिये वादीनी के द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

कुछ समय पूर्व दोनो पक्षकारों की आराजीयात् की सीमाओं के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर प्रतिवादी क्रम 2 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 6 तहसीलदार को दिनांक 01.02.2019 पत्र लिखकर वादीनी की आराजीयात् का सीमा निर्धारण करने हेतु पत्र

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

लिखा, इस पर दिनांक–06.05.2019 को घनी आबादी होने के कारण भूमि का सीमांकन नही होने की रिपोर्ट हल्का पटवारी के द्वारा दिये जाने पर प्रतिवादी क्रम–2 के द्वारा पुनः दिनांक 14.06.2019 को पत्र लिखकर रेल्वे के प्रतिनिधि की उपस्थिति में मौका मुआयना करने का निवेदन किया गया। जिस पर दिनांक– 24.01.2020 को हल्का पटवारी के द्वारा रेल्वे के प्रतिनिधि की उपस्थिति में वादीनी की आराजीयात् खसरा नम्बर– 142, 14, 150, 143 वाके– ग्राम खेडली पुरोहित तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान का सीमांकन किया गया, और उसके अनुसार हल्का पटवारी रिपोर्ट द्वारा कुएँ से पूर्व 108 मीटर छोडकर पूर्व की ओर वादीनी की आराजी का सीमांकन का ज्ञान दोनो पक्षकारों को कराया गया। जिसकी मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी के द्वारा बनाई गई, लेकिन उस समय उपस्थित रेल्वे प्रतिनिधि के द्वारा उक्त सीमांकन से सन्तुष्ट नही होने एवं सेटलमेन्ट विभाग से सीमांकन करवाने का नोट लगाते हुये चले गये, और इस प्रकार पटवारी के द्वारा जो सीमांकन किया गया था, को रेल्वे विभाग के द्वारा नही माना जा रहा हैं, जबकि दोनो पक्षकार अपनी–अपनी आराजी की सीमाओं में रहने के लिये बाध्य हैं।

वादीनी के द्वारा अपनी आराजी की सीमा पर तार फैन्सिंग कर रखी हैं, उस सीमा के अन्दर वादीनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण किया गया हैं, और कुछ निर्माण किया जा रहा हैं, जिसका की वादीनी को अधिकार हैं, लेकिन दिनांक 05.12.2020 को रेल्वे विभाग कर्मचारी प्रतिवादी कम 3, 4 व 5 मौके पर आयें, और साथ में जे.सी.बी. नम्बर– आर.जे.28–ई ए–0924 लायें, जिससे उनके द्वारा जबरदस्ती वादीनी की तार फेन्सिंग व मकान को तोडने का प्रयास किया, जिस पर बस्ती के कई लोग इकट्ठा हो गये, तो उन्होने झगडा फसाद की स्थिति पैदा करते हुये वादीनी के साथ गाली–गलोच करते हुये चमट्टी चमारन जाति सूचक शब्दो का प्रयोग करते हुये तथा धक्का मुक्की करते हुय वादीनी की साडी व ब्लाउज पकडकर खींच लिया, जिससे साडी उतर गई और वादीनी का ब्लाउज फट गया, जिससे वादीनी की लज्जा अर्थात शीघ भंग हुई। जिसकी रिपोर्ट श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोटा शहर कोटा, श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, एवं श्रीमान पुलिस उप अधीक्षक महोदय, वृत एस.सी./एस.टी रामपुरा कोटा को दिनांक 07.12.2020 को प्रेषित कर दी गई। प्रतिवादीगण के द्वारा वादीनी की तार फेन्सिंग एवं वादीनी के मकान को तोडने का प्रयास किया जा रहा हे। तथा किसी भी समय उनके द्वारा वादीनी के माकन को तोड–फोड कर क्षतिग्रस्त किया जा सकता हैं, इसलिए वादीनी को प्रतिवादीगण को उनके अवैध, अनाधिकृत कृत्य से रोकने के लिए उक्त वाद प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है।

वाद कारण अन्तिम मर्तबा दिनांक 05.12.2020 मारपीट करने, व वादीनी की लज्जा भंग करने तथा तार फेसिंग व मकान तोडने जिसकी रिपोर्ट दिनांक 07.12.2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कलक्टर महोदय व पुलिस उपअधीक्षक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

महोदय को करने के पश्चात भी प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध रूप से तार फेन्सिग व मकान को तोडने पर आमादा होने के कारण उत्पन्न हुआ है।

अतः वाद प्रस्तुत कर विनय है कि–

1. प्रतिवादीगण क्रम 6 व 7 को निर्देशित करते हुये वादीनी के आराजी खसरा नम्बरान 142, 14, 150, 143 वाके ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा जिला कोटा राज0 की सही नपती करवाकर सीमांकन करवाया जावें, तथा मौके पर दोनों पक्षों की जमीन की सीमाओं पर मुड्डीगढी करवाई जावे।
2. प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 05 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे की वादीनी की आराजी खसरा नम्बर 142, 14, 150, 143 वाके ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा जिला कोटा की सीमा पर प्रवेश ना करे। तथा तार फेन्सिंग व वादीनी के मकान को तोड फोड व क्षतिग्रस्त ना करे।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

वादीनी के द्वारा खाते की आराजी खसरा नम्बर 142, 14, 150, 143 वाके ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा जिला कोटा मे स्थित है। इस खातेदारी मे वादीनी की तीन बहिने कमला, शांति, धापू के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज होना बताया है, जिसके आधार पर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि वास्तव मे वादीनी द्वारा बतायी गयी उक्त खाते की आराजी रिकोर्ड के अनुसार वादीनी के खाते मे दर्ज नही है। इस कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। इस कारण से प्रस्तुत वाद वाद कारण के अभाव मे खारिज किये जाने योग्य है।

वादीनी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 142, 14, 150, 143 वाके ग्राम खेडली पुरोहित तह0 लाडपुरा जिला कोटा वादीनी के पिता स्व0 श्री लालू जी के खाते की आराजी है, वादीनी के पिता श्री लालमू जी का देहान्त हो जाने पर कानूनन वादीनी वं उसकी तीन बहिने कमला, शांति, धापू खातेदार बनी, इसलिए कानून के अनुसार स्व0 लालू जी की पुत्रियां खातेदार हो गई। इसलिए बतौर सहखातेदार अपनी सम्पति को बचाने के लिए वाद प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार है।

प्रस्तुत वाद वादीनी की तीनों अन्य बहिनों की सहमति से प्रस्तुत किया है।

ऑर्डर 7 नियम 11 सीपीसी मे वाद कारण के संबंध मे कानून की स्थिति से स्पष्ट है कि वाद कारण वादी के पक्ष मे उत्पन्न होना पर्याप्त है, इस संबंध मे स्पष्ट रूप से अपने वादन पत्र मे वाद कारण दिनांक 05.12.2020 प्रतिवादीगण के द्वारा तार फैन्सिंग और मकान तोडने के जैसे गलत कृत्य करने पर उत्पन्न होने पर किया गया। इसी प्रकार वाद कारण उत्पन्न होने का स्पष्ट होने पर इसके संबंध मे ट्रायल

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

के दौरान ही साक्ष्य के आधार पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। इस स्टेज पर अलग से यह निर्धारण नही होगा कि वाद कारण कब, कैसे उत्पन्न हुआ है।

इस संबंध मे कानून की स्थिति है कि वाद का फुल ड्रेस ट्रायल होना चाहिये, टेक्नीकल आधार पर वाद को खारिज नही करना चाहिये। अतः निवेदन है कि प्रतिपक्षी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

- बहस सुनी गई।
- हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया।
- प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मुख्य आधार यह है कि वादीनी द्वारा ग्राम खेडलीपुरोहित के जिन खसरा नम्बरान का खातेदार बताते हुये वाद पेश किया गया है, वे खसरा नम्बरान वादीनी के खाते ही दर्ज नही है। अतः वादीनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है।
- पत्रावली मे संलग्न वर्तमान जमाबंदी ग्राम खेडली पुरोहित का अवलोकन किया गया। संलग्न जमाबंदी जमाबंदी सवत 2077 से स्थाई के अनुसार खसरा नम्बर 142, 143, 150, बृजराज सिंह पुत्र श्री भीमसिंह जाति राजपूत साकिन कोटा के नाम दर्ज रिकोर्ड है।
- संलग्न जमाबंदी से प्रमाणित होता है कि वादीनी वादग्रस्त खसरा नम्बरान की खातेदार नही है। अतः वादीनी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है।
- उक्त परिस्थितियों मे हम प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर, वादीनी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकरी अधिनियम खारिज किया जाना न्यायोचित पाते है।
- अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है।
- डिक्री परचा पृथक से जारी हो।
- पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा